<u>स्पीड पोस्ट द्वारा</u>

<u>अति तत्काल</u>

<u>सं.10(6)/2008-डीबीए-II/एनईआर</u>

भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग

दिनांक 15 मार्च, 2012

सेवा में

सचिव (उद्योग)
उद्योग विभाग
पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्य सरकार,
(अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय,
मिज़ोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम)

विषय : पूर्वोत्तर औद्योगिक और निवेश संवर्धन नीति (एनईआईआईपीपी),2007-स्कीमों के अंतर्गत पंजीकरण।

महोदय,

केन्द्रीय पूंजी निवेश आर्थिक सहायता स्कीम के प्रावधान के अनुसार, 27.7.2007 को विनिर्माण क्षेत्र और 21.09.2007 को सेवा क्षेत्र के लिए जारी एनईआईआईपीपी, 2007 के अंतर्गत केन्द्रीय ब्याज आर्थिक सहायता स्कीम और केन्द्रीय व्यापक बीमा स्कीम दिनांक 12.09.2007 की संशोधन अधिसूचना के साथ पठित; आर्थिक सहायता के लिए पात्र औद्योगिक इकाई को वाणिज्यिक उत्पादन शुरु होने के पूर्व स्वयं को पंजीकृत कराना चाहिए ।

2. चूंकि कुछ इकाईयां स्कीम की अधिसूचना विलम्ब से होने की वजह से 27.07.2007/21.09.2007 तक उक्त स्कीमों के अंतर्गत स्वयं को पंजीकृत नहीं करा सकी थी, अत: इस विभाग ने ऐसी इकाईयों को पत्र सं.10(5)/2008-डीबीए-II/एनईआर दिनांक 25.5.2008 द्वारा 31.12.2008 को उपर्युक्त आर्थिक सहायता स्कीम के अंतर्गत स्वयं को पंजीकृत कराने की अनुमति दी थी । यह और स्पष्ट किया जाता है कि पंजीकरण के एक वर्ष के भीतर ऐसी इकाईयां को प्रस्तुत दावे, आर्थिक सहायता के लिए अनुमेय माने जा सकते हैं, यदि राज्य स्तर की समिति विलम्ब की माफी के लिए मामले को उपयुक्त समझती है ।

3. इस विभाग को एनईआईआईपीपी, 2007 के अंतर्गत आर्थिक सहायता का लाभ उठाने की इच्छुक इकाईयों पूर्व-पंजीकरण शर्त में दिसम्बर, 2008 के बाद और ढील देने के संबंध में अनेक अभ्यावेदन प्राप्त

हुए हैं । इस मामले पर अब विचार किया गया है और इस विभाग का दृष्टि कोण है कि वाणिज्यिक उत्पादन/पर्याप्त विस्तार शुरु किए जाने के पूर्व राज्य उद्योग विभाग के साथ औद्योगिक इकाईयों के पूर्व पंजीकरण की शर्त स्कीम के अंतर्गत आर्थिक सहायता की पात्रता/प्रमात्रा निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण है । इस प्रकार, खुली माफी उचित नहीं है ।

4. बाद में किसी माफी को मामला-दर-मामला आधार पर निपटाया जाएगा । एसएलसी ऐसी छूट की सिफारिश इकाई द्वारा प्रचालन कार्य शुरु किए जाने की वास्तविक तारीख के संबंध में जांच कराने के पश्चात, जो डी आई सी को उद्यमियों द्वारा प्रस्तुत उद्यमियों का ज्ञापन भाग-II जैसे संगत दस्तावेजों द्वारा विधिवत समर्थित होंगे, करेगा । इस मामले में अंतिम निर्णय डीआईपीपी के पास रहेगा ।

भवदीय,

(अरुण कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष -23063096

प्रतिलिपि : उद्योग निदेशालय, पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्य सरकार (अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम)